संख्या /XXVII(1)/2006

प्रेषक,

एल0 एम0 पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
सम्बन्धित नगर पंचायत,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून, दिनांक : 01 जनवरी, 2006

विषयः– **प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की रिपोर्ट के प्रस्तर 21.9 के अनुसार तीन नगर पंचायतों को पर्यटकों के आवागमन पर नागरिक सेवाओं हेतु वर्ष 2005–06 के लिए सहायक अनुदान के रूप में धनराशि का संकमण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 3 नगर पंचायतों को उनके सामने इंगित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु कुल रू0 15,00,000.00 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. नगर पंचायत, बद्रीनाथ	5,00,000.00
2. नगर पंचायत, केदारनाथ	5,00,000.00
3. नगर पंचायत, गंगोत्री	5,00,000.00

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है।

(1) संकमित धनराशि शासनादेश संख्या– 2533/रा0वि0आ0/वि0अनु0–1/2003, दिनांक 26.12.2003 में उल्लिखित राज्य वित्त आयोग की गाईडलाइन्स के अनुसार व्यय की जायेगी, इससे किसी प्रकार का व्यावर्तन अथवा समायोजन नहीं किया जायेगा।

(2) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) संकमित की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए है तथा इससे कराये जाने वाले कार्यों के आगणन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे।

(4) इस धनराशि से विभिन्न सामग्रियों का क्रय नियमानुसार एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(5) सचिव, नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(6) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या – 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगर पंचायतें/नोटीफायड एरिया/कमेटी–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन –00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 918 (1)/XXVII(1)/2006 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली/रूद्रप्रयाग, उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली/रूद्रप्रयाग, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार (लेखा हकदारी), उत्तरांचल।
6. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
9. एन0 आई0 सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

31/1/06

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त